संचिका सं0–14 / जा0नि0–03–07 / 2016 का॰– ..... /

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमशः क्रमांक– 19 एवं 12 पर अंकित ''बरई'' एवं ''तमोली'' जाति को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) से विलोपित करते हुए झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) में सम्मिलित करने के संबंध में।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गो एवं पिछड़े वर्गो को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति / वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है।

3. पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग से प्राप्त सलाह के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–II) के क्रमांक–12 पर दर्ज 'तमोली' जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–I) के रिक्त क्रमांक–123 पर तथा पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–II) के क्रमांक–19 पर दर्ज 'बरई' जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–I) के रिक्त क्रमांक–124'' पर दर्ज किये जाने के साथ–साथ पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–II) के क्रमांक–12 पर से 'तमोली' जाति को तथा पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–II) के क्रमांक–19 पर से 'बरई' जाति को विलोपित किया जाय।

तद्नुसार झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) एवं पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) का संशोधित रुप निम्नवत हैः–

समावेशन(अनुसूची–1)

(i) अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के रिक्त क्रमांक–123 पर 'तमोली' को समावेशित किया जाय।

(ii) अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के रिक्त क्रमांक–124 पर 'बरई' को समावेशित किया जाय।

विलोपन(अनुसूची–2)

(i) चूँकि तमोली जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–123 पर समावेशित किया गया है, अतएव तमोली जाति को पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–12 से विलोपित किया जाय।

(ii) चूँकि बरई जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–124 पर समावेशित किया गया है, अतएव बरई जाति को पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–19 से विलोपित किया जाय।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/जा0नि0–03–07/2016 का०– 11082 /रांची, दिनांक 27/11/16

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

26/11/16
सरकार के प्रधान सचिव।